



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना- 800014



पत्रांक-8 बजट (1) 12/2026... 34/आ०

दिनांक- 11/08/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय बिहार पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पटना/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/सहरसा/भागलपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना एवं मुजफ्फरपुर।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी उपशीर्ष, उपशीर्ष 0002 पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में सांख्यिकी इकाइया, मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2403001130002 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 7,55,400/- (सात लाख पचपन हजार चार सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 17 (नि०) आ० दिनांक 20.04.2026 के क्रम में व्यय को वहन करने हेतु कुल रुपये 7,55,400/- (सात लाख पचपन हजार चार सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-2 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष 2403-पशुपालन उपमुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष 113 - प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी उपशीर्ष- 0002- पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में सांख्यिकी इकाइयां, विपत्र कोड- 02-2403001130002 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये " प्रबोधन एवं मूल्यांकन योजना " के तहत दिया जा रहा है।

4. इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक- 09.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं 380/वि० दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2026-27 एवं बजट प्राक्कलन 2027-28 दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध करा दें।

(च) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 12/2026 प0पा0आ0/

पटना-14,

दिनांक-11/08/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 -- 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

विवरणी- III

वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष 2403- पशुपालन, 113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी, 0002- पशु एवं गन्तव्य पालन विभाग में सांख्यिकी इकाईयाँ विपत्र कोड-02- 2403001130002 के तहत प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु एक कोषांग की स्थापना के अन्तर्गत आवंटन विवरणी :-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	01 01 वेतन			01 03 जीवन यापन गता			01 04 मकान किराया गता			01 05 परिवहन गता			01 06 चिकित्सा गता		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मुजफ्फरपुर	2,61,600	5,81,600	8,43,200	1,66,400	1,57,200	3,23,600	85,300	3,700	89,000	5,000	5,900	10,900	3,900	7,000	10,900
5	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, छपरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :-	2,61,600	5,81,600	8,43,200	1,66,400	1,57,200	3,23,600	85,300	3,700	89,000	5,000	5,900	10,900	3,900	7,000	10,900

34 (विभागा)
11/08/2026

2

वित्त																		
क्र०	01 07 अन्य भत्ता			योग – वेतन एवं भत्ते			06 01 शिक्षित्वा प्रतिपूर्ति			11 01 यात्रा व्यय			13 01 कार्यालय व्यय			कुल आवंटन (रु० में)		
सं०	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	5,22,200	7,55,400	12,77,600	0	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600	5,30,800	7,55,400	12,86,200
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	5,22,200	7,55,400	12,77,600	0	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600	5,30,800	7,55,400	12,86,200

(समत लाख पचपन हजार चार सौ) मात्र ।

34 (नि०) 31/10/2026

निदेशक पशुपालन ।